तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
9/10/25	पत्रावली पेश हुई। उ० प० स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) ... अधिकारी ...ली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:26:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–60/25 तारीख रजु:–25.07.2025

धनबाई पत्नि स्व0 देवीराम आयु 77 साल जाति जाटव निवासी खूंडरी तहसील मासलपुर जिला करौली

––प्रार्थीया

बनाम

1– कन्हैया पुत्र दौजी आयु 65 साल
2– परभाती पुत्र दौजी आयु 56 साल
3– रामफूल पुत्र दौजी आयु 54 साल
4– हल्के पुत्र दौजी आयु 50 साल
5– औमी पुत्र श्रीफूल आयु 25 साल
6– समिता पुत्री श्रीफूल आयु 18 साल
7– शिमला पत्नि श्रीफूल आयु 48 साल
8– कम्मोद पुत्र सामलिया आयु 65 साल
9– गोकुल पुत्र सामलिया आयु 58 साल
10– मनफूल पुत्र सामलिया आयु 56 साल
11–सामन्ता पुत्र सामलिया आयु 70 साल

(1 से 11) जतियान जाटव निवासीयान विनेगा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

12– किरनबाई पुत्री सामलिया पत्नि रामस्वरूप आयु 60 साल जाति जाटव निवासी विनेगा हाल निवासी गुनेसरा तहसील करौली

13– कैलाश पुत्र धनीराम आयु 44 साल
14– भमर पुत्र धनीराम आयु 46 साल

(13, 14) जातियान जाटव निवासीयान विनेगा तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

15– कृष्णाबाई पुत्री धनीराम पत्नि ओमप्रकाश आयु साल जाति जाटव निवासी विनेगा हाल निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर

16–मीना कुमारी पुत्री धनीराम पत्नि मनोज आयु 37 साल जाति जाटव निवासी विनेगा हाल निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर

17– विनीता पुत्री धनीराम पत्नि बबलेश आयु 35 साल जाति जाटव निवासी विनेगा हाल निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी

18– रामश्री पत्नि धनीराम आयु 65 साल जाति जाटव निवासी विनेगा तहसील मासलपुर

19– प्रेम पुत्र हट्टी आयु 70 साल
20– पुष्पा पत्नि घमण्डी आयु 46 साल

(19, 20) जातियान जाटव निवासीयान विनेगा तहसील मासलपुर

21– कारी पुत्री श्रीफूल आयु 12 साल
22– भोलू पुत्र श्रीफूल आयु 16 साल

(21, 22) जातियान जाटव निवासीयान विनेगा तहसील मासलपुर जिला करौली जरिये माता शिमला पत्नि श्रीफूल आयु 48 साल जाति जाटव निवासी विनेगा तह0 मासलपुर

23– लैण्ड होल्डर तहसीलदार मासलपुर तह0 मासलपुर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.20 17:26:42 IS
Reason: SelfAttested

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—::निर्णय::— **दिनांकः—9.10.2025**

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि आराजी खसरा नम्बर 710/1479 रकबा 1.2646 हैक्टेयर किस्म बारानी—2 ग्राम चैनपुर तहसील तहसील मासलपुर प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की है सबूतन नकल जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। आराजी खसरा नम्बर 710/1478 रकबा 0.5059 हैक्टेयर किस्म बारानी—3 ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर अप्रार्थी नं. 1 ता 22 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है गणपत पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी विनेगा एवं सरूपी बाई पुत्री दौजी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी नं.1 ता 4 है सबूतन नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 1 ता 22 के खातेदारी की भूमि की नक्शा सीट में तरमीम सही दर्ज हुयी है। खसरा नम्बर 710/1479 व खसरा नम्बर 710/1478 की तरमीम सैरीगेशन के समय ऑन लाईन गलत दर्ज कर दी गयी है जो नक्शा लट्ठा सीट में हुयी तरमीम के विपरीत है और प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 1 ता 22 के कब्जे के विपरीत है प्रार्थीया खसरा नम्बर 710/1479 एवं खसरा नं. 710/1478 की तरमीम पूर्व नक्शा सीट लट्ठा सीट के अनुसार ऑन लाईन तरमीम में दुरूस्त कराने की अधिकारी है। उक्त तरमीम ऑन लाईन के गलत होने की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी नं. 23 को ऑनलाईर्न नं. 23 को ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त करने का आवेदन पेश किया जिस पर अप्रार्थी नं. 23 द्वारा भी जॉच कर न्यायालय हाजा को प्रार्थीया की तरमीम ऑन लाईन गलत होने एवं पूर्व नक्शा सीट के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। अंत में आराजी खसरा नं. 710/1479, रकबा 1.2646 हैक्टेयर ग्राम चैनपुर एवं खसरा नं. 710/1478 रकबा 0.5059 हैक्टेयर ग्राम चेनपुर पटवार हल्का चैनपुर तहसील मासलपुर की [illegible] पूर्व नक्शा नट्ठा सीट में हो रही तरमीम के अनुसार ऑन लाईन नक्शा में तरमीम दुरुस्त सही किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.04.20 17:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 22 द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण की दूर–दूर तक रिश्तेदारी में कुल भी नहीं लगती है। प्रार्थीया गांव खूंडेरी तहसील मासलपुर जिला करौली से आकर अप्रार्थीगण के गांव विनेगा मासलपुर जिला करौली में आकर बस गई है। राधे पुत्र घसीड़ा निवासी कोट तहसील मासलपुर जिला करौली ने प्रार्थीया को जमीन का बेचान किया परन्तु कालान्तर में प्रार्थीया की जमीन रेंज में चली गई, प्रार्थीया की जमीन रेंज में चली जाने के कारण प्रार्थीया भूमिहीन हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रार्थीया की अप्रार्थीगण के आस–पास कोई भूमि ही शेष नहीं बची। प्रार्थीया वर्तमान में अवैध रूप से रेंज की भूमि में अतिक्रमण कर बसी हुई है तथा रेंज में ही अर्थात रेंज की भूमि में ही प्रार्थीया की ट्यूबवेल खुदी हुई है। यह बात भी सत्य है कि प्रार्थीया का यदि कोई पट्टा हो तो वह अप्रार्थीगण के इर्द–गिर्द नहीं है। जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति कहते थे। अतः वस्तुस्थिति यह है कि स्वंय प्रार्थीया को अपनी भूमि के पट्टे की जानकारी नहीं है। अंत में प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थीया का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 710/1479 रकबा 1.2646 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 ग्राम चैनपुर तहसील तहसील मासलपुर प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की है सबूतन नकल जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। आराजी खसरा नम्बर 710/1478 रकबा 0.5059 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 ग्राम चैनपुर तहसील मासलपुर अप्रार्थी नं. 1 ता 22 के खातेदारी व कब्जे काश्त की है गणपत पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी विनेगा एवं सरूपी बाई पुत्री दौजी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी नं.1 ता 4 है सबूतन नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2[illegible] प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 1 ता 22 के खातेदारी की भूमि की नक्शे [illegible] में तरमीम सही दर्ज हुयी है। खसरा नम्बर 710/1479 व खसरा नम्बर 710/14[illegible] की तरमीम सैरीगेशन के समय ऑन लाईन गलत दर्ज कर दी गयी है जो नक्शा लट्ठा सीट में हुयी तरमीम के विपरीत है और प्रार्थीया व अप्रार्थी नं. 1 ता 22 के कब्जे के विपरीत है प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.20 17:26:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खसरा नम्बर 710/1479 एवं खसरा नं. 710/1478 की तरमीम पूर्व नक्शा सीट लट्ठा सीट के अनुसार ऑन लाईन तरमीम में दुरूस्त कराने की अधिकारी है। उक्त तरमीम ऑन लाईन के गलत होने की जानकारी होने पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी नं. 23 को ऑनलाइर्न नं. 23 को ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त करने का आवेदन पेश किया जिस पर अप्रार्थी नं. 23 द्वारा भी जॉच कर न्यायालय हाजा को प्रार्थीया की तरमीम ऑन लाईन गलत होने एवं पूर्व नक्शा सीट के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। अंत में आराजी खसरा नं. 710/1479, रकबा 1.2646 हैक्टेयर ग्राम चैनपुर एवं खसरा नं. 710/1478 रकबा 0.5059 हैक्टेयर ग्राम चेनपुर पटवार हल्का चैनपुर तहसील मासलपुर की तरमीम पूर्व नक्शा नट्ठा सीट में हो रही तरमीम के अनुसार ऑन लाईन नक्शा में तरमीम दुरूस्त की जावे।

वकील अप्रार्थीयान का कथन है कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण की दूर–दूर तक रिश्तेदारी में कुल भी नहीं लगती है। प्रार्थीया गांव खूंडेरी तहसील मासलपुर जिला करौली से आकर अप्रार्थीगण के गांव विनेगा मासलपुर जिला करौली में आकर बस गई है। राधे पुत्र घसीड़ा निवासी कोटे तहसील मासलपुर जिला करौली ने प्रार्थीया को जमीन का बेचान किया परन्तु कालान्तर में प्रार्थीया की जमीन रेंज में चली गई, प्रार्थीया की जमीन रेंज में चली जाने के कारण प्रार्थीया भूमिहीन हो गई और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रार्थीया की अप्रार्थीगण के आस–पास कोई भूमि ही शेष नहीं बची। प्रार्थीया वर्तमान में अवैध रूप से रेंज की भूमि में अतिक्रमण कर बसी हुई है तथा रेंज में ही अर्थात रेंज की भूमि में ही प्रार्थीया की ट्यूबवेल खुदी हुई है। यह बात भी सत्य है कि प्रार्थीया का यदि कोई पट्टा हो तो वह अप्रार्थीगण के इर्द–गिर्द नहीं है। जैसा कि बुजुर्ग व्यक्ति कहते थे। अतः वस्तुस्थिति यह है कि स्वंय प्रार्थीया को अपनी भूमि के पट्टे की जानकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:26:42 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रवाली में प्र[illegible] रा[illegible] रिकॉर्ड जमाबंदी व नक्शा शीटों को अवलोकन किया गया। प्रार्थीयान ने प्रार्थना–पत्र [illegible] अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 710/1479 की जमाबंदी संवत 2074–77 एवं [illegible]र्थीयान की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 710/1478 की जमाबंदी संवत 2074–77 एवं ऑनलाईन नक्शा शीट एवं नक्शा ट्रेस लट्ठा शीट की प्रमाणित प्रति एवं वर्ष 1956 की नक्शा शीट की प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रति पेश की है। जिसमें ऑनलाईन नक्शा शीट में सैरीगेशन के समय की गई तरमीम में एवं नक्शा शीट पूर्व में अंतर है। पूर्व तरमीम के अनुसार ऑनलाईन तरमीम नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थीया पूर्व नक्शा ट्रेस एवं नक्शा लट्ठा के अनुसार खसरा नंबर 710/1478 एवं 710/1479 ग्राम चैनपुर की तरमीम दुरूस्त कराने की हकदार है। प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया खसरा नंबर 710/1478 एवं 710/1479 ग्राम चैनपुर पटवार हल्का चैनपुर तहसील मासलपुर की तरमीम पूर्व नक्शा ट्रेस एवं नक्शा लट्ठा में दर्ज तरमीम अनुसार ऑनलाईन तरमीम दुरूस्त कराने की अधिकारी है। अप्रार्थी नंबर 23 इसी अनुसार ऑनलाईन नक्शा शीट में तरमीम दुरूस्त करें। निर्णय की प्रमाणित अप्रार्थी नंबर 23 को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.20 17:26:42 IST
Reason: SelfAttested